<u>अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यापकों हेतु दिशा निर्देश</u>

1– शासनादेश संख्या–1078/79–5–2016–15(149)/2010 दिनांक 13.06.2017 तथा शासनादेश संख्या– 1810/79–5–2017–15 (149) /2010 दिनांक 20.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

2– <u>अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में तथा नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में ही किये जायेंगे।</u> <u>प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।</u>

3– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रकियानुसार भरे जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय विकलांगता, पति/पत्नी के सेवा में होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र, असाध्य रोग इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र को अपलोड किया जायेगा। एक बार आवेदन पत्र Final Submit करने के पूर्व भरी गयी प्रविष्टियों को जांच करते हुए यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पूर्ण कर प्रिन्ट लेना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक बार Final Submit करने के उपरान्त किसी प्रकार का संशोधन पुनः संभव नही होगा।

4– ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त अध्यापक/अध्यापिका द्वारा समस्त सम्बन्धित अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में ऑनलाइन आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से दिनांक 25.01.2018 तक जमा कराया जायेगा।

5– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्रों तथा सम्बन्धित साक्ष्यों की जांच हेतु दिनांक 27.01.2018 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काउन्सिलिंग का आयोजन कराया जायेगा जिसमें शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र तथा अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की जांच की जायेगी। उक्त तिथि को सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं से परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये ज्येष्ठता सम्बन्धी प्रारूप पर शपथ पत्र भी भरवाया जायेगा। काउन्सिलिंग के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। केवल सत्यापित आवेदन पत्रों के आधार पर ही अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

6– स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदन पत्र की वांछित सूचनाएं यथा– प्रथम नियुक्ति तिथि, आधार संख्या, पैन संख्या, वेतन खाता संख्या, जन्मतिथि, तीन विकल्प जनपदों के नाम जहाँ रिक्ति हो इत्यादि तैयार कर लें जिससे आवेदन करने में कोई कठिनाई न हो। **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अध्यापकों को उनके पैन संख्या/आधार संख्या के प्रयोग पर अपनी सहमति प्रदान करनी होगी।**

7– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रकिया अध्यापकों के वेतन भुगतान सम्बन्धी सैलरी डाटा पर आधारित है, ऐसी स्थिति में सैलरी डाटा में उल्लिखित पैन संख्या–, खाता संख्या की प्रविष्टि करने पर ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन

पत्र में निर्धारित प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त अपनी निर्धारित साइज की फोटो (अधिकतम 20 के0बी0, जे0पी0ई0जी0 फारमेट में) अपलोड करना अनिवार्य होगा।

8– Final Submit करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार किया जा पाना संभव नहीं होगा। Final Submit करने के उपरांत आवेदन पत्र में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गयी किसी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा आवेदनोपरान्त आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जा सकेगा।

9– चूंकि अध्यापक/अध्यापिका सैलरी का बैंक खाता संख्या तथा पैनकार्ड संख्या का प्रयोग कर के ही ऑनलाइन प्रकिया में लॉगिन करेंगे तथा उनमें कोई कठिनाई हो रही है तो वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अपने डाटा की जानकारी प्राप्त कर लें तथा जो डाटा सैलरी डाटा में उपलब्ध है उसी का प्रयोग करते हुये आनलाइन आवेदन करें।

10– **शिक्षकों की सैलरी डाटा में किसी तरह की विसंगति के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। डाटा के विसंगति अथवा किसी तरह की अन्य समस्या का निवारण का उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।**

11– ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी समस्या हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद में **हेल्पलाइन नम्बर 9455413563 पर सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।**

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।